

Rule of HSVP to Allot Land

4. Sh. Narender Gupta, MLA:-

Will the Town and Country Planning and Urban Estate Minister be pleased to state that:-

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) The rule to allot land of HSVP to any institution, person and some other category for petrol pump, shop and some other purpose;
- b) Whether HSVP can issue N.O.C. to provide its land on lease to some other department; if so, who will have right to lease money;
- c) Whether N.O.C. to give any land to some other department has been released in Faridabad from 01.04.2019 till to date; if so, the details thereof;
- d) Whether there is also any rule to allot the parking area to someone together with the details thereof?

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

Yes, Sir.

- a) Allotment of land by HSVP is governed by HSVP (disposal of land and buildings) Regulation, 1978.
- b) Yes, HSVP can issue NOC to provide its land on lease to some other Department as per the regulations mentioned in reply to a).
- c) HSVP has granted NOC, on the request of Municipal Corporation, Faridabad, for setting up of Chemist Shop vide letter dated 13.10.2021.
- d) Allotment of land is made by HSVP as per Regulation 3 of HSVP (disposal of land and buildings) Regulation, 1978 by way of sale or lease either by allotment or by Auction which may be by open bid or by inviting tenders.

एच.एस.वी.पी. का भूमि आवंटन

4. श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद):

क्या नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी सम्पदा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- (क) हरियाणा राज्य विकास प्राधिकरण की भूमि किसी संस्था, व्यक्ति तथा किसी अन्य श्रेणी को पेट्रोल पम्प, दुकान तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित करने के लिए क्या नियम हैं;
- (ख) क्या हरियाणा राज्य विकास प्राधिकरण अपनी भूमि किसी अन्य विभाग को पट्टे पर देने के लिए अनापत्ति प्रमाण कर सकता है;
- (ग) क्या 01.04.2019 से अब तक फरीदाबाद में किसी अन्य विभाग को कोई जमीन देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है; यदि हो, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा
- (घ) क्या किसी व्यक्ति को पार्किंग क्षेत्र आवंटित करने का भी कोई नियम है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) हाँ, श्रीमानजी।

हशविप्रा द्वारा भूमि का आवंटन हशविप्रा (भूमि और भवनों का निपटान) विनियमन, 1978 द्वारा नियंत्रित होता है।

- (ख) हाँ, श्रीमानजी।

उक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित नियमों के अनुसार हशविप्रा किसी अन्य विभाग को अपनी जमीन पट्टे पर देने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

- (ग) हशविप्रा ने दिनांक 13.10.2021 के पत्र के माध्यम से औषधि विक्रेता की दुकान की स्थापना के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के अनुरोध पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

- (घ) हशविप्रा द्वारा भूमि का आवंटन हशविप्रा (भूमि और भवनों का निपटान) विनियमन, 1978 के विनियम 3 के अनुसार बिक्री या पट्टे के माध्यम से या तो आवंटन या नीलामी जो खुली बोली द्वारा या निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है।